सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 469/16 **निर्णय दिनांकः—09—09—2019**

1. मदनलाल पुत्र लेखराम जाति मीर निवासी लखावर तहसील लूणकरनसर हाल चक 4 बीएलएम तहसील कोलायत नम्बर 1 जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 19—11—1993
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री रणजीत सिंह बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 19—11—1993 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटन का पात्र धोषित किया गया परन्तु पट्टा जारी नहीं किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत में चक 4 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 230/60 के किला नम्बर 11 ता 25 तादादी 15 बीघा कमाण्ड व

मुरब्बा नम्बर 230/30 के किला नम्बर 1 ता 10 में 10 बीघा अनकमाण्ड भूमि बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटन का पात्र धोषित करते हुए जरिये लॉटरी उपरोक्त भूमि का आवंटन किया गया परन्तु आज दिनांक तक उक्त आवंटित भूमि का पट्टा जारी नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि के पट्टे बाबत् समय समय पर प्रार्थना पत्र व व्यक्तिगत रूप से आवंटन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया जाता रहा, परन्तु अपीलांट की प्रार्थना पत्र कोई गौर नहीं किया गया। आवंटन अधिकारी द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन निरस्त किया ना ही मौके पर उसे कब्जा प्रदान किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट को मजबूरीवश अपील का सहारा लेना पड़ा।

अपीलांट को आवंटित रकबा आज दिनांक को भी शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। अपीलांट की पात्रता तथा आवंटन आदेश आज दिनांक तक कायम है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल करते हुए आवंटन पट्टा व मौके पर कब्जा प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—11—1993 के विरूद्व अपील दिनांक 27—08—14 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन आदेश व मौके पर कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का

अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—11—1993 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 27—08—2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट को आवंटन होने तथा आवंटन पश्चात् पट्टा प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा नोटिस जारी नहीं किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती वे न्यायालय के दिन—प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किये जाने के कारण प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए चक 4 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 230/60 के किला नम्बर 11 ता 25 तादादी 15 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 230/30 के किला नम्बर 1 ता 10 में 10 बीघा अनकमाण्ड बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। अपीलांट के प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट को उक्त भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए आराजी जैर का आवंटन कर दिया गया। अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन पश्चात् आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन पट्टा जारी नहीं किया गया।

पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से साबित है कि आवंटन अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक अपीलांट का आवंटन निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही मौके पर अपीलांट को कब्जा सुपुर्द किया गया न ही खातेदारी सनद् जारी की गई।

अपीलांट/आवेदक को आवंटन निरस्त करने, बकाया राशि जमा करवाने या कब्जा लेने बाबत् कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। अपीलांट इस बाबत् आवंटन अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से व पत्राचार के माध्यम से लगातार प्रयासरत रहा है परन्तु आवंटन अधिकारी की लापरवाही के कारण आवेदक 20 साल तक अपने अधिकारों से वंचित रहा है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पात्रता के आधार पर आवंटन की विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए आवेदन का निस्तारण करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09—08—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर